बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की मदद से सीतामढ़ी जिला के श्री रामचन्द्र महतो का विद्युत विपत्र की राशि 229831.00 रुपए से घटकर 24485.00 रुपए हो गयी

नया विद्युत उपभोक्ता लेखा आवंटित होने के बाद से ही प्रति माह काफी अधिक राशि का विद्युत विपत्र प्राप्त होने से श्री रामचन्द्र महतो, पिता- स्व० अशर्फी महतो, ग्राम- रामपुर परोरी, जिला सीतामढ़ी विगत एक वर्ष से अधिक से काफी परेशान थे और सुधार के लिए विद्युत कार्यालय में उनके द्वारा कई बार आवेदन पत्र दिए गए, परन्तु इसमें सुधार नहीं हुआ।

बाद में इनके द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्युत विपत्र में सुधार करने का परिवाद दायर किया गया। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीतामढी सदर द्वारा विपत्र के सुधार का निदेश लोक प्राधिकार-सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी (शहरी) को दिया गया।

दिनांक- 10.07.2021 और दिनांक- 27.07.2021 की मात्र दो सुनवाइयों में ही सहायक विद्युत अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उपभोक्ता के विद्युत विपत्र 229831.00 रूपए को सुधार कर मात्र 24485.00 रूपए कर दिया गया है, इस प्रकार दो लाख रूपए से अधिक का सुधार हो गया। लोक शिकायत निवारण कानून की सहायता से विद्युत विपत्र में सुधार हो जाने से परिवादी काफी संतुष्ट हुए और अपनी ख़ुशी जाहिर की।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी लोक शिकायतें दर्ज करायें तथा निश्चित समय सीमा में सुनवाई के पश्चात् समाधान पाएं

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर **18003456284** पर कॉल करें या वेबसाइट http://lokshikayat.bihar.gov.in/ पर जाएं